

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01226/2022-2023

दिनांक 28/07/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या:R/SUL/06814/2022-2023

पत्रावली संख्या:F-23418

दिनांक:2007-2008

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पं० राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय शिक्षण संस्थान, ग्राम-पडेला, पोस्ट-कादीपुर, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर, उ०प्र०, सुलतानपुर, 228145 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 326/2007-08 दिनांक-06/06/2007 को दिनांक-06/06/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)

6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66

Date: 28/07/2022 7:21:10 PM, Location: Ayodhya.

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

जारी करने का दिनांक-28/07/2022

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10AA 555418



पं. राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय
शिक्षण संस्थान
सुल्तानपुर (उ.प्र.) 23418
नि. प्रभाकर

सत्य प्रतिलिपि

रज. निबन्धक
कर्म समितिया, तथा बिद्वत्
मेरुवावा (उ.प्र.)
13/11/2009

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये

FIVE RUPEES

रु.5

Rs.5



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10AA 555417



पं० राम चरित्र मिश्र महा विद्यालय
शिक्षण संस्थान
सुलतानपुर रु० 23410
र-मृ०-पत्र

मूल्य प्रतिलिपि

राज न्यायालय
मूल्य प्रतिलिपि, तथा बिद्व
मेरुत (उ० प्र०)
17/01/2005

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : पं० राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय शिक्षण संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम पड़ेला पो० कादीपुर तह० कादीपुर जिला सुलतानपुर
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य :

1. शिक्षा, ललित कला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी जानकारी लोगों तक निःशुल्क पहुंचाना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।
2. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार संगोष्ठी, सेमिनार प्रदर्शनी आदि के द्वारा उत्तम नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक मूल्यों का निःशुल्क प्रचार-प्रसार करना एवं बढ़ावा देना।
3. बालक एवं बालिकाओं को उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं का निःशुल्क समुचित ज्ञान कराना
5. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, सतत शिक्षा आदि का निःशुल्क संचालन करना।
7. समाज के शैक्षिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए निःशुल्क कार्य करना।
8. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े तबकों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान देकर राष्ट्र के विकास में निःशुल्क सहयोग करना।
9. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रचार प्रसार करना।
10. शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, डिग्री कालेज की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्थ शिक्षा तकनीकी एवं कृषि शिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
11. बालक-बालिकाओं में शिक्षा के माध्यम से वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण आदि के प्रति निःशुल्क जागरूकता प्रदान करना।
12. ज्ञानार्जन हितार्थ वाचनालय, पुस्तकालय आदि की निःशुल्क स्थापना एवं संचालन करना।
13. छात्रो-छात्राओं के लिए छात्रावास आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।
14. समाज में फैली विभिन्न प्रकार की कुरीतियों जैसे छूआ-छूत, अंधविश्वास, आदि का शिक्षा के माध्यम से दूर करने का निःशुल्क प्रयास करना।
15. शिक्षा के माध्यम से विभिन्न संक्रामक रोगों जैसे एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, आदि जैसी बीमारियों से बचाव के लिए बालक-बालिकाओं को निःशुल्क जागरूक करना।
16. बालक-बालिकाओं के लिए संगीत कला, हस्तकला, शिल्पकला कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।
17. कमजोर तथा निर्बल वर्ग के लोगों, महिलाओं तथा विकलांगों के लिए विशेष शिल्प कला, चित्रकला, सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्र चलाना।
18. नारी उत्थान के लिए स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क शैक्षिक व्यवस्था करना एवं कार्यक्रम चलाना, स्कूल तथा उच्च शिक्षा के लिए विद्यालयों की निःशुल्क स्थापना करना।



पं० राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय
पड़ेला, कादीपुर-इ.प्र.

Appendix
द्वारा 15/10/2008

रेखा
केचन
सत्य प्रतिनिधि

प्रीती कर्मा प्रतिनिधि तथा चिट्ठे
दुबई (8/5/08)
19/10/2008
प्रेमशंकर मिश्रा



रि: 18/10/08

17. कुटीर उद्योग/तेलघानी/राइस मिल/रस्सी कटाई /कढ़ाई बुनाई आदि उद्योग की स्थापना करके लोगों को स्वालम्बी /रोजगार देना।





18. सोसायटी रजिस्ट्रेशन की एक्ट की धारा 20 के अनुमित समस्त कार्यो का संचालन करके लोगों को विकास हेतु मान्य होंगे।

19. गाँधी/अम्बेडकर के विचार धारा के अनुरूप क्षेत्र में उपयोगी कार्यो को संचालित करना।

संस्था के प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम एवं पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के स्मृतिपत्र तथा नियमानुसार संस्था का कार्य भार सौंपा गया है।

क्र.	नाम	पिता/पति के नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	रमा शंकर मिश्र	श्री राम चरित्र मिश्र	पडैला कादीपुर, सुलतानपुर	प्रबन्धक /सचिव	कृषि
2	देव राज पाण्डेय	श्री राम विलास पाण्डेय	रमगढ़ा, धनीपुर प्रतापगढ़	उपप्रबन्धक /उपसचिव	कृषि
3	श्रीपाल पाण्डेय	पारसनाथ पाण्डेय	धनहुआ, बरुआ सुलतानपुर	अध्यक्ष	कृषि
4	रेखा	पत्नी श्रवण कुमार	पडैला कादीपुर, सुलतानपुर	उपाध्यक्ष	कृषि
5	शान्ती देवी	पत्नी रमाशंकर	पडैला कादीपुर, सुलतानपुर	कोषाध्यक्ष	कृषि
6	कंचन	पत्नी अरविन्द कुमार	धनऊपुर कादीपुर सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
7	प्रीती	पत्नी रोहित कुमार	पडैला कादीपुर, सुलतानपुर	सदस्य	कृषि
8	राम कुमारी	पत्नी मथुरा प्रसाद	एच. ब्लॉक, किदवई नगर कानपुर	सदस्य	कृषि
9	प्रेम शंकर	राज मूर्ति मिश्र	हरिहरपुर, सिंगरामऊ, जौनपुर	सदस्य	कृषि


हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा सन्तानक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है प्रबन्ध समिति के सदस्य एवं पदाधिकारियों के हस्ताक्षर नीचे हैं।

- ① 
 ③  प्रतिनिधि
 ② देवराज पाण्डेय
 ④ रेखा
 ⑤ 
 ⑥ कंचन
 ⑦ प्रीती
 ⑧ 
 ⑨ प्रेमशंकर मिश्र

उप निबन्धक
 पूर्व समितिया तथा चिट्ठम
 डेलाबाद (३०.३.०१)
 ३०.३.०१

5

मि. अ. राम कुमारी


 अध्यक्ष
 ३० धार शक्ति नि.स. महाविद्यालय
 पडैला, कादीपुर, सुलतानपुर

प्रतिनिधि कर्ता
 ३० धार शक्ति
 (२०१-०८)



प्रकार प्रबन्ध समिति में सदस्यों एवं पदाधिकारियों की कुल संख्या 9 होगी।

(व) बैठक :

~~प्रबन्ध~~ प्रबंधकारिणी समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक होगी जिसे सामान्य बैठक कहेंगे और किन्हीं विषयों पर तीन सदस्यों के लिखित मांग पर एक माह के भीतर आहूत बैठक विशेष कही जायेगी।

(स) सूचना अवधि:

प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की सूचना एजेन्डा 7 दिन पूर्व प्रत्यक्ष अथवा यू.पी.सी. डाक द्वारा देकर बुलाई जायेगी।

(द) गणपूर्ति:

कुल सदस्यों की 2/3 सदस्यों से इसकी गणपूर्ति समझी जायेगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित अग्रिम बैठक के लिए दुबारा यह गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी। किन्तु कोई नया विचारणीय प्रस्ताव नहीं जोड़ा जा सकेगा।

(य) रिक्त स्थानों की

पूर्ति: यदि किसी परिस्थितिवश या नियमावली की धारा 6 के अन्तर्गत किसी भी सदस्य या पदाधिकारी का स्थान रिक्त होता है तो साधारण सभा अपने बहुमत के आधार प्रबन्ध समिति की शेष अवधि के लिए किसी भी साधारण सभा के सदस्यों में से चयन करके प्रबन्ध समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देगी।

(र) प्रबंधकारिणी समिति के अधिकार/कर्तव्य:

1. समस्त आय-व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित करना। संस्थान के हित में कार्य करना। दान, चन्दे अनुदान की व्यवस्था करके साधारण सभा की स्वीकृत की अपेक्षा से उसका उपयोग करना। पूर्ण रूपेण साधारण सभा के प्रति उत्तरदायी रहना। ऐसा समस्त कार्य जो संस्था के हित में हो, भूमि भवन, अन्य शिक्षण सामग्रियों एवं सुविधाओं की व्यवस्था करना। संस्था के कर्मचारियों या अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र आदि साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना और नियमानुसार उस पर कार्यवाही करना सुयोग्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। उन्हें पुरस्कृत करना।

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु किसी प्रकार का विवाद, उल्लंघन होने की स्थिति में संस्था के हित में प्रबन्धक/सचिव को यह विशेष अधिकार होगा कि वह प्रबंधकारिणी भंग कर,



सत्य प्रतिलिपि

प्रबंधक

कर्म समितियां तथा चिट्ठे
कैम्पवाड (४० प्र०)

19/11/2000

प्रबंधक
श्री राम चरित शिव मठ, कैम्पवाड
पड़ोस, कादीपार-मन्नामाल

देवराज पाण्डेय

कन्नन
प्रीती

S.P. B. 8

नियमावली

1. संस्था का नाम : पं. राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय शिक्षण संस्थान
2. संस्था का पता : ग्नापडहेला, कोनादीपुर-सुल्तानपुर तृ० का० १५८ डि० पु० का० १५८
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

क. संस्थापक सदस्य : जो व्यक्ति स्थापना के समय कम से कम 1000 रु० देकर, रसीद प्राप्त करेगा। वह संस्थापक सदस्य की श्रेणी में रहेगा। किन्तु शर्त यह कि इस प्रकार के सदस्य को प्रतिवर्ष कम से कम 500 रु० संस्था के हित में दान करके। रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तभी वह मत देने का अधिकारी होगा।

ख. आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को एक ही बार में 25000/-रु० दान करके रसीद प्राप्त करेगा तो वह आजीवन सदस्य रहेगा।

ग. संरक्षक सदस्य : जो प्रति वर्ष लगातार 501 रु० देता रहेगा वह संरक्षक सदस्य होगा। यदि देने का क्रम टूट जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।



घ. सदस्यता प्राप्त के नियम: सर्व प्रथम कोई भी व्यक्ति सदस्यता प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र संस्था के सचिव के पास प्रस्तुत करेगा। सचिव/प्रबन्धक द्वारा अनुमति मिल जाने पर कोषाध्यक्ष के पास निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करके। सचिव/प्रबन्धक द्वारा एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही सदस्य माना जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति : निम्न कारणों से सदस्यता समाप्त की जायेगी-

1. किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर।
 2. त्याग पत्र की स्वीकृत हो जाने पर।
 3. पागल/दिवालिया हो जाने पर।
 4. अविश्वास का मत प्राप्त हो जाने पर।
 5. सदस्यता शुल्क समय से न जमा करने पर।
 6. संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर।
 7. अनैतिक अपराध में किसी न्यायालय से दण्डित होने पर।
- संस्था को ही संस्थान कहा जायेगा। इसके दो अंग हैं- 1. साधारण सभा या साधारण समिति 2. प्रबन्धकारिणी समिति या कार्य कारिणी समिति

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
कर्म समितिया तथा चिट्ठे
कैम्पास (४० प्र०)

7. संस्था के अंग

पं. राम चरित्र मिश्र महाविद्यालय
पडहेला, कोनादीपुर-सुल्तानपुर
कंचन

श्रीती

S.P. Ranley
67

8. साधारण सभा :

(अ) गठन :

संस्थान के आजीवन एवं संस्थापक और संरक्षक सदस्यों ही साधारण सभा के सदस्य माने जायेंगे।
(घ) तीनों सदस्यों को मिला कर साधारण सभा का गठन होगा।

(ब) बैठक :

साधारण सभा की सामान्य बैठक प्रत्येक वर्ष के मार्च माह में अवश्य होगी। विशेष बैठक वर्ष में किसी भी समय सचिव/प्रबन्धक द्वारा बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि:

सामान्य बैठकों की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जायेगी।

(द) गणपूर्ति :

साधारण सभा की गणपूर्ति सदस्यों की संख्या की 2/3 होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित अग्रिम बैठक के लिए दुबारा यह गणपूर्ति नहीं होगी। किन्तु नया विचारणीय प्रस्ताव नहीं जोड़ा जा सकेगा।

(य) विशेष/वार्षिक

अधिवेशन की तिथि: प्रतिवर्ष मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में वार्षिक अधिवेशन किया जायेगा। जिसमें वर्तमान सत्र के लेखा-जोखा का सत्यापन और अग्रिम सत्र के सम्भावित बजट या अन्य क्रिया कलापों और योजनाओं पर सहमति का प्रस्ताव किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसी बैठक में प्रबन्ध समिति का चुनाव किया जायेगा।



सत्य प्रतिक्रिया

संस्थापक
कर्म समितियां तथा विद्वत्
केन्द्र (उ. प्र.)
17/01/2000

9. प्रबंधकारिणी समिति

(अ) गठन :

साधारण सभा के संरक्षक एवं संस्थापक और आजीवन सदस्य मिलकर प्रबन्ध समिति का गठन अपने बहुमत के आधार पर करेंगे। जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव/प्रबन्धक, एक उपसचिव/उपप्रबन्धक, एक कोषाध्यक्ष और 4 सदस्यों का निर्वाचन होगा। इस

सचिव
17/01/2000
A.P. Bandyopadhyay
संयोजक
पी.टी.

गध्यावधि चुनाव करा दे और इस अवधि में समस्त अधिकार अपने हाथ में रखें।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:

1. अध्यक्ष:

(क) साधारण सभा अथवा प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता एवं किसी प्रकार से बराबर मत आने पर निर्णायक मत अधिकार प्रयोग करना।
(ख) समस्त पदाधिकारियों के कार्य की देख रेख एवं आवश्यक निर्देश देना।
(ग) संस्था के हित में उचित तथा अपेक्षित कार्य को करना और आवश्यकतानुसार विशेषाधिकार प्रयोग करना।

2. उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्रदत्त समस्त अधिकारों का प्रयोग व कर्तव्य का पालन करना।

3. सचिव/प्रबन्धक:

(क) सचिव को ही प्रबन्धक या व्यवस्थापक कहा जायेगा। स्थान तिथि समय एवं विचारणीय विषयों का निर्धारण करके संस्थान के दोनों अंगों की बैठकों को बुलाना।

(ख) संस्थान के प्रत्येक लेख एवं अभिलेखों को अपने संरक्षण में रखना।

(ग) संस्थान के साधारण सभा के माध्यम से यदि किसी भी प्रकार से कोई विषय परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो उस समय संस्था के दोनों अंगों के समस्त अधिकार एवं कर्तव्यों पर सचिव/प्रबन्धक का नियंत्रण होगा और वह अपने विवेक से संस्थान का कार्य करेगा एवं संस्था के हित में उचित एवं अपेक्षित निर्देश प्रबंधकारिणी समिति को देना और उसके कार्यों की समीक्षा करना।

(घ) संस्थान हेतु दान/अनुदान आदि सभी प्रकार से आय प्राप्त करके यथोचित उसकी रसीद देना और संस्थान के हित में उसे व्यय करना।

(ङ.) संस्था के आदालती कार्यवाही के संचालन के उत्तर दायित्व निभाना।

(च) संस्थान के स्मृति पत्र के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समस्त कार्यवाही क्रिया कलापों का नियंत्रण रखते हुए उसका संचालन करना।

4. उपसचिव/उपप्रबन्धक: सचिव/प्रबन्धक द्वारा लिखित प्राप्त होने पर सचिव/प्रबन्धक के समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का संचालन करना।



सत्य प्रतिलिपि

उप प्रबन्धक

कर्म समितियां तथा चिट्ठे
कैलाशवाव (उ० प्र०)

17/01/2000

प्रबन्धक
६० शांति सौरभ मित्र मस्तिनवाला
पुणे, कादीपार-पुण्यानगर

देकराजपाठेय

रुचन

प्रीती

A.P. Pandey 9

5. कोषाध्याक्ष : संस्था के आय-व्यय के संचालन में सचिव/प्रबन्धक की सहायता करना। वार्षिक बजट तैयार करना। प्रतिमाह कम से कम 500 रु0 अपने पास रख कर व्यय करना।

11. संस्था के नियमों में संशोधन प्रक्रिया: इस नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन इसी उद्देश्य से बुलाई गई साधारण सभी की बैठक में निहित होगा जिसका एजेण्डा संशोधन के स्पष्ट आलेख सहित 15 दिन पूर्व निकाला गया हो और कुल सदस्यों के 2/3 की उपस्थिति हो। जिसमें सचिव/प्रबन्धक की लिखित सहमति अनिवार्य होगी।

12. संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी अधिकृत बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में रहेगा और एकाउण्ट आपरेट करने का अधिकार प्रबंधक एवं कोषाध्यक्ष का होगा। संस्था के विद्यालय प्राइमरी से इण्टरमिडिएट स्तर की कक्षाओं की छात्रवृत्ती आदि के खातों का संचालन, प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। सामाजिक विकास कार्य वेतन संबंधी कार्य हेतु खाता सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संचालित होगा।

13. संस्था का आय-व्यय लेखा परीक्षण- संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त एकाउन्टेन्ट अथवा किसी विधि लेखा विभाग के अडिटरों द्वारा प्रत्येक वर्ष कराया जायेगा।

14. संस्था द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही के संयोजन का दायित्व- संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी भी अदालती कार्यवाही का दायित्व केवल सचिव को होगा।

15. संस्था का अभिलेख सचिव संस्था में निम्न लिखित अभिलेख होंगे-
(क) सदस्यता रजिस्टर (ख) कोष रजिस्टर
(ग) स्टॉक रजिस्टर (घ) कार्यवाही रजिस्टर
(ङ) एजेण्डा रजिस्टर

16. विघटन कार्य समितियां तथा विद्व (उ० प्र०) संस्थान के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के विस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजि० एक्ट की धारा 13 तथा 14 के अनुसार पूर्ण की जायेगी।

सत्याप्रतिलिपि

Dr.
 उप निबन्धक
 सचिव
 के० राम शरिफ निबन्धक महाविद्यालय
 कादीपर-साम्बलानगर

कंचन
 प्रीती
 रेखा
 10

सचिव
 12/01/08

